भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2836
दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब

2836. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत देश भर में वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चिकबल्लापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलईडी बल्बों के वितरण के संबंध में आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में सभी घरों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक राज्य में किसानों को नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में किसानों को दी जाने वाली विद्युत दरों की तुलना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई का संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों के वितरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों के वितरण का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख) : चिकबल्लापुर संसदीय क्षेत्र में अब तक लगभग 97.84 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) : भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को विद्युत देने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। इस स्कीम के दौरान, कर्नाटक में

1,82,856 घरों को विद्युत दी गई। राज्य ने सूचित किया है कि दिनांक 10.10.2017 तक चिन्हित सभी पात्र घरों को दिनांक 31.01.2019 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। (जिले-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है।)

भारत सरकार प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के चिन्हित घरों और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत जनजातीय घरों को विद्युतीकृत करने में राज्यों को सहायता दे रही है।

अब तक, कर्नाटक राज्य के अनुरोध के आधार पर, पीएम-जनमन के अंतर्गत 1,615 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए 3.77 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं (विवरण **अनुबंध-III** पर है)।

इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत, कर्नाटक में 179 पीवीटीजी घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर-आधारित विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कोडागु जिले में 108 और मैसूरु जिले में 71 कार्य शामिल हैं।

(घ) : भारत सरकार किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), सौभाग्य और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को समर्थन दे रही है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सक्षम करने के लिए उच्च कृषि भार वाले मिश्रित-भार फीडरों को अलग करने की परियोजनाएं शुरू की गईं। कर्नाटक में, 865 करोड़ रुपये की लागत वाली फीडर पृथक्करण परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जो 11 केवी लाइनों की 11,783 सीकेएम को कवर करती हैं।

(ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संकलित एवं प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए देश भर में कृषि विद्युत टैरिफ का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2836

अनुबंध-I

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	400,000
2	आंध्र प्रदेश	2,20,40,227
3	अरुणाचल प्रदेश	4,99,498
4	असम	71,92,072
5	बिहार	1,96,08,609
6	चंडीगढ़	5,54,283
7	छत्तीसगढ़	1,08,22,335
8	दादरा एवं नगर हवेली	1,63,808
9	दमन और दीव	1,42,623
10	दिल्ली	1,34,31273
11	गोवा	10,05,890
12	गुजरात	4,14,48,713
13	हरियाणा	1,56,08,119
14	हिमाचल प्रदेश	86,48,483
15	जम्मू और कश्मीर	84,86,579
16	झारखंड	1,36,45,874
17	कर्नाटक	2,42,64,486
18	केरल	1,54,29,919
19	लद्दाख	2,30,630
20	लक्षद्वीप	2,00,000
21	मध्य प्रदेश	1,75,74,110
22	महाराष्ट्र	2,19,86,569
23	मणिपुर	2,99,934
24	मेघालय	4,33,789
25	मिजोरम	6,15,332
26	नागालैंड	10,99,038
27	ओडिशा	5,22,70,570
28	पुदुचेरी	6,09,251
29	पंजाब	30,16,739
30	राजस्थान	1,73,21,034
31	सिक्किम	1,64,000
32	तमिलनाडु	43,63,183
33	तेलंगाना	28,75,082
34	त्रिपुरा	10,54,437
35	उत्तर प्रदेश	2,62,95,772
36	उत्तराखंड	56,73,850
37	पश्चिम बंगाल #	92,29,228
कुल		**36,87,05,340**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2836

अनुबंध-II

कर्नाटक राज्य में सौभाग्य स्कीम के तहत विद्युतीकृत घरों के जिलावार विवरण

ज़िला	कुल
बागलकोट	11404
बेलगाम	28211
बेलगाम-हुकेरी	8720
बेल्लारी	15425
बीदर	17174
बीजापुर	4682
चिकमगलूर	1052
दक्षिण कन्नड़	1069
धारवाड़	7389
गडग	7871
गुलबर्गा	13604
हावेरी	12938
कोडागू	4138
कोप्पल	8120
रायचूर	13704
शिमोगा	12
उडुपी	3537
उत्तर कन्नड़	7516
यादगीर	16290
समस्त जिले	**182856**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2836

अनुबंध- III

कर्नाटक राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत पीवीटीजी घरेलू विद्युतीकरण कार्य

जिलों का नाम	संस्वीकृत घरों की संख्या	अब तक विद्युतीकृत घरों की संख्या
चामराजनगर	197	176
कोडागू	604	266
मैसूर	805	470
दक्षिण कन्नड़	1	1
उडुपी	8	8
कुल	**1,615**	**921**

कृषि 10 एचपी (2000 यूनिट/माह)				
क्रम सं.	**यूटिलिटी का नाम**	**औसत दर (पी/केडब्ल्यूए)**	**शुल्क/कर (पी/केडब्ल्यूए)**	**कुल (पी/केडब्ल्यूए)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	196	0	196
2	आन्ध्र प्रदेश			
	मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के साथ	350	0	350
	मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के बिना	450	0	450
3	अरुणाचल प्रदेश	310	0	310
4	असम	486	24	510
5	बिहार	570	4	574
6	चंडीगढ़	260	0	260
7	छत्तीसगढ	555	0	555
8	दादरा एवं नगर हवेली	90	0	90
9	दमन और दीव	90	0	90
10	दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/टीपीडीडीएल)	197	8	205
11	दिल्ली-(एनडीएमसी)	197	8	205
12	गोवा	159	20	179
13	गुजरात	90	0	90
14	गुजरात-(टोरेंट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद)	340	0	340
15	गुजरात-(टोरेंट पावर लिमिटेड, सूरत)	70	0	70
16	हरियाणा	667	0	667
17	हिमाचल प्रदेश	395	39	434
18	जम्मू और कश्मीर	90	12	102
19	झारखंड	510	0	510
20	कर्नाटक	0	0	0
21	केरल	236	23	259
22	लद्दाख	120	15	135
23	मध्य प्रदेश	625	0	625
24	महाराष्ट्र	352	0	352
25	महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	387	0	387
26	महाराष्ट्र - मुंबई-(अडानी इलेक्ट्रिसिटी)	547	0	547
27	महाराष्ट्र - मुंबई- (टाटा)	389	0	389
28	मणिपुर	479	0	479
29	मिजोरम	399	0	399
30	मेघालय	341	6	347
31	नागालैंड	320	0	320
32	ओडिशा	155	3	158
33	पुडुचेरी सरकारी सब्सिडी के साथ	0	0	0
34	पंजाब सरकारी सब्सिडी के साथ	0	0	0
	सरकारी सब्सिडी के बिना	566	0	566
35	राजस्थान	570	4	574
36	तमिलनाडु	0	0	0
37	तेलंगाना			
	कॉर्पोरेट किसान	252	0	252
	कॉर्पोरेट किसानों के अलावा	2	0	2
38	त्रिपुरा	477	36	513
39	उत्तराखंड	215	0	215
40	उत्तर प्रदेश (शहरी)	665	0	665
	(ग्रामीण)	235	0	235
41	पश्चिम बंगाल	510	0	510
42	डी.वी.सी. (झारखंड क्षेत्र)	315	0	315

कृषि 5 एचपी (1000 यूनिट/माह)				
क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	औसत दर (पी/केडब्ल्यूएच)	शुल्क/कर (पी/केडब्ल्यूएच)	कुल (पी/केडब्ल्यूएच)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	196	0	196
2	आन्ध्र प्रदेश			
	मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के साथ	350	0	350
	मांग पक्ष प्रबंधन उपाय (डीएसएम) के बिना	450	0	450
3	अरुणाचल प्रदेश	310	0	310
4	असम	486	24	510
5	बिहार	570	4	574
6	चंडीगढ़	260	0	260
7	छत्तीसगढ	555	0	555
8	दादरा एवं नगर हवेली	90	0	90
9	दमन और दीव	90	0	90
10	दिल्ली-(बीवाईपीएल/बीआरपीएल/टीपीडीडीएल)	197	8	205
11	दिल्ली-(एनडीएमसी)	197	8	205
12	गोवा	159	20	179
13	गुजरात	90	0	90
14	गुजरात-(टोरेंट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद)	340	0	340
15	गुजरात-(टोरेंट पावर लिमिटेड, सूरत)	70	0	70
16	हरियाणा	667	0	667
17	हिमाचल प्रदेश	401	39	440
18	जम्मू और कश्मीर	90	12	102
19	झारखंड	510	0	510
20	कर्नाटक	0	0	0
21	केरल	236	23	259
22	लद्दाख	120	15	135
23	मध्य प्रदेश	599	0	599
24	महाराष्ट्र	352	0	352
25	महाराष्ट्र - मुंबई-(बी.ई.एस.टी.)	387	0	387
26	महाराष्ट्र - मुंबई-(अडानी इलेक्ट्रिसिटी)	547	0	547
27	महाराष्ट्र - मुंबई- (टाटा)	389	0	389
28	मणिपुर	479	0	479
29	मिजोरम	399	0	399
30	मेघालय	341	6	347
31	नागालैंड	320	0	320
32	ओडिशा	155	3	158
33	पुडुचेरी सरकारी सब्सिडी के साथ	0	0	0
34	पंजाब सरकारी सब्सिडी के साथ	0	0	0
	सरकारी सब्सिडी के बिना	566	0	566
35	राजस्थान	570	4	574
36	तमिलनाडु	0	0	0
37	तेलंगाना			
	कॉर्पोरेट किसान	253	0	253
	कॉर्पोरेट किसानों के अलावा	3	0	3
38	त्रिपुरा	366	27	393
39	उत्तराखंड	215	0	215
40	उत्तर प्रदेश (शहरी)	665	0	665
	(ग्रामीण)	235	0	235
41	पश्चिम बंगाल	510	0	510
42	डी.वी.सी. (झारखंड क्षेत्र)	315	0	315

****